

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या :- 29/2020-21

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
21/9/21	आवेदक दुर्गा मुण्डा, पिता-स्व० बुटवा मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- बसिया थाना - बसिया, जिला- गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>बसिया</td><td>50</td><td>64</td><td>610</td><td>0.66 एकड़ में से 0.20 एकड़</td><td>टांड</td></tr></table> कुल 0.20 ए० (बीस डिसमील) प्लॉट सं० 610 का चौहदी :- उत्तर - टॉड किनु मुण्डा दक्षिण - कोंगे खड़िया का टॉड, पूरब - गोकुलचंद्र होता का टॉड पश्चिम - नीज बिक्रेता। जमीन विक्रेता का विवरणी दुर्गा मुण्डा, पिता-स्व० बुटवा मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- बसिया थाना - बसिया, जिला- गुमला। जमीन क्रेता का विवरणी फ्रैंकलिन किड़ो, पिता गाब्रिएल किड़ो, जाति खड़िया, ग्राम तिर्रा केमता टोली, थाना बसिया, जिला गुमला। आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता फ्रैंकलिन किड़ो, पिता गाब्रिएल किड़ो, जाति खड़िया, ग्राम तिर्रा केमता टोली, थाना बसिया, जिला गुमला को आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु 3,50,000(तीन लाख पचास हजार) रूपय की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	बसिया	50	64	610	0.66 एकड़ में से 0.20 एकड़	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
बसिया	50	64	610	0.66 एकड़ में से 0.20 एकड़	टांड									



निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 342(ii) दिनांक 04/08/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा एवं खड़िया के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक दुर्गा मुण्डा, पिता-स्व० बुटवा मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम- बसिया थाना - बसिया, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 3,50,000(तीन लाख पचास हजार) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)।



भूमि सुधार उप - समाहर्ता
बसिया (गुमला)।